



2026:AHC:66907

19.03.2026 को सुरक्षित

31.03.2026 को प्रदत्त

इलाहाबाद उच्च न्यायालय

धारा 528 के तहत आवेदन बी.एन.एस.एस. संख्या- 6899 वर्ष 2026

सूरजपाल और 2 अन्य आवेदक

बनाम

उत्तर प्रदेश राज्य और एक अन्य प्रतिपक्षी

आवेदक के अधिवक्ता: अखिलेश चंद्र द्विवेदी, सच्चिदानंद तिवारी

प्रतिपक्षी के अधिवक्ता: अर्जुन सिंघल, शासकीय अधिवक्ता

न्यायालय सं - 77

माननीय न्यायमूर्ति श्री सौरभ श्रीवास्तव

1. पक्षों के अधिवक्ता को सुना और अभिलेखों का अवलोकन किया।
2. दीवानी न्यायाधीश (जे.डी.) द्वारा पारित संज्ञान आदेश दिनांक 19.4.2025 के साथ धारा 379 भूदब्बि, पीएस-भोजपुर, जिला गाजियाबाद के तहत केस अपराध संख्या-38 वर्ष 2025 की पूरी कार्यवाही को रद्द करने की प्रार्थना के साथ प्रस्तुत आवेदन को दायर की गई है। फास्ट ट्रैक कोर्ट/न्यायिक मजिस्ट्रेट, गाजियाबाद।
3. मामले के संक्षिप्त तथ्य यह हैं कि वर्तमान प्राथमिकी दिनांक 12.2.2025 को प्रतिपक्षी संख्या-2 के कहने पर आवेदकों के खिलाफ दर्ज की गई है, जिसमें आरोप लगाया गया है कि प्रतिपक्षी संख्या-2 ने दिनांक 22.10.2022 को गांव जहांगीरपुर, तहसील मोदीनगर, जिला गाजियाबाद में स्थित अपने भूखंड संख्या-90 पर गन्ने की फसल बोई है, आवेदकों ने फसल की कटाई की और अपने साथ ले गए और इस तरह आवेदकों के खिलाफ चोरी का अपराध बनाया गया है। जांच करने के बाद, आवेदकों के

अस्वीकरण: अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।



खिलाफ आरोप पत्र प्रस्तुत किया गया है, जिसके बाद दिनांक 19.4.2025 के आक्षेपित आदेश के तहत अपराध का संज्ञान लिया गया है।

4. आवेदकों के अधिवक्ता द्वारा यह तर्क दिया गया है कि पहले आवेदकों के पूर्वजों का नाम संबंधित भूखंड के खिलाफ राजस्व अभिलेखों में दर्ज किया गया था, लेकिन अचानक अचानक 1370एफ-1372एफ में, 39 अन्य लोगों के साथ एक मुंशीलाल का नाम बिना किसी कारण के उक्त अभिलेखों में दर्ज किया गया है। प्रतिपक्षी संख्या-2 उपरोक्त मुंशीलाल का वंशज है। 7.4.2001 को शुरू किए गए समेकन अभियान के दूसरे दौर में, आवेदकों और उनके पूर्वजों को राजस्व अभिलेखों में धोखाधड़ी के बारे में पता चला और उन्होंने चकबंदी अधिकारी, मोदीनगर, गाजियाबाद के समक्ष आपत्ति दर्ज की, जिसे खारिज कर दिया गया। इसके बाद आवेदकों द्वारा अपीलीय और पुनरीक्षण प्राधिकरण के स्तर तक मुकदमेबाजी के कई दौर अपनाए गए, लेकिन आवेदकों की आपत्ति को सभी चरणों में खारिज कर दिया गया। चकबंदी अधिकारी, अपीलीय प्राधिकारी के साथ-साथ पुनरीक्षण प्राधिकारी के आदेश से व्यथित होने के कारण, आवेदकों ने इस न्यायालय के समक्ष रिट बी संख्या-491 वर्ष 2020 को दायर की, जिसमें इस न्यायालय की समन्वय पीठ द्वारा पारित आदेश दिनांक 19.4.2023 के माध्यम से अंतरिम राहत प्रदान की गई थी, जिसमें पक्षकारों को आज की तारीख में यथास्थिति बनाए रखने का निर्देश दिया गया था। उपरोक्त रिट याचिका के लंबित रहने के दौरान, प्रतिपक्षी संख्या-2 ने पुलिस के साथ सांठगांठ की और धारा 145 द०प्र०स० के तहत थानाध्यक्ष, भोजपुर, गाजियाबाद द्वारा उप-मंडल मजिस्ट्रेट, मोदीनगर, गाजियाबाद के समक्ष 30.1.2020 को एक रिपोर्ट दायर की, जिसमें आरोप लगाया गया कि विवादित भूखंड पर खड़ी गन्ने की फसल की कटाई के लिए शांति भंग होने की संभावना है। दिनांक 11.02.2020 को, संबंधित मजिस्ट्रेट ने विचाराधीन भूखंड के रूप में संपत्ति की कुर्की के लिए कोई कारण बताए बिना निर्देश दिए। संपत्ति की कुर्की से व्यथित होने के कारण, आवेदकों ने आपराधिक पुनरीक्षण संख्या-92 वर्ष 2021 को दायर की, जिसमें अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश, न्यायालय संख्या-3, गाजियाबाद ने दिनांक 26.03.2022 के आदेश के माध्यम से दिनांक 11.02.2020 के आदेश को रद्द कर दिया और मामले को नए सिरे से विचार के लिए अधीनस्थ न्यायालय में भेज दिया। दिनांक 26.3.2022 के आदेश को किसी भी पक्ष



द्वारा कानून के किसी भी मंच के समक्ष चुनौती नहीं दी गई थी। जैसे ही दिनांक 11.02.2020 के कुर्की आदेश को रद्द कर दिया गया, संबंधित भूखंड पर आवेदकों का कब्जा स्वचालित रूप से बहाल हो गया और वे अभी भी कब्जे में हैं।

5. आगे यह प्रस्तुत किया जाता है कि दिनांक 26.3.2022 के आदेश और उपरोक्त रिट बी संख्या-491 वर्ष 2020 में पारित अंतरिम आदेश दिनांक 19.4.2023 के बीच, आवेदकों के कब्जे में कोई गड़बड़ी नहीं की गई थी। इस न्यायालय द्वारा पारित अंतरिम आदेश के बाद, अधीनस्थ न्यायालय के पास पक्षों के कब्जे के संबंध में निर्णय देने के लिए कुछ भी नहीं था, लेकिन विचारण न्यायालय ने आगे बढ़कर 26.12.2024 को आदेश पारित किया, जिसमें कुछ राजस्व अभिलेखों में उनके नाम की प्रविष्टियों के आधार पर प्रतिपक्षी संख्या-2 का कब्जा मनमाने ढंग से स्वीकार किया गया। एक बार जब इस न्यायालय ने संज्ञान ले लिया और यथास्थिति बनाए रखने का आदेश पारित कर दिया, तो धारा 145 दंप्रंस० के तहत कार्यवाही व्यर्थ होगी और अधीनस्थ न्यायालय को धारा 145 दंप्रंस० की कार्यवाही को छोड़ने की आवश्यकता थी। हालांकि, दिनांक 26.12.2024 के आदेश से व्यथित होकर, आवेदकों ने इस न्यायालय के समक्ष आपराधिक पुनरीक्षण दोषपूर्ण संख्या-1702 वर्ष 2025 दायर की है, जिस पर अभी भी निर्णय लिया जाना बाकी है। प्राथमिकी के रूप में प्रस्तुत आपराधिक कार्यवाही दिनांक 26.12.2024 के उपरोक्त आदेश के बाद शुरू हुई है। प्राथमिकी 2 साल, 3 महीने और 22 दिन से अधिक की देरी के बाद दर्ज की गई है जो कानून की नजर में टिकाऊ नहीं है। विचाराधीन भूखंड पर कब्जे से संबंधित विवाद अभी भी संबंधित अदालत के समक्ष निर्णय के लिए लंबित है, इसलिए केस अपराध संख्या-38 वर्ष 2025 वाली प्राथमिकी के रूप में आवेदकों के खिलाफ पूरा अभियोजन शुरू करना कानून की प्रक्रिया का घोर दुरुपयोग है और इस तरह पूरी कार्यवाही को रद्द करने और रद्द करने योग्य है।

6. ततस्य विपरीत, प्रतिपक्षी संख्या-2 के अधिवक्ता श्री अर्जुन सिंघल ने प्रस्तुत आवेदन के माध्यम से मांगी गई प्रार्थना का जोरदार विरोध किया और प्रस्तुत किया कि आवेदकों के आदेश पर उठाए गए पूरे तर्क परीक्षण का विषय हैं। विचाराधीन भूखंड पर प्रतिपक्षी संख्या-2 का कब्जा धारा 145 दंप्रंस० के तहत दिनांक 26.12.2024 के आदेश के तहत कार्यवाही में स्थापित किया गया था और इस तरह आवेदकों के खिलाफ चोरी का



प्रथम दृष्टया अपराध बनाया गया है और इस तरह इस न्यायालय द्वारा किसी हस्तक्षेप की आवश्यकता नहीं है।

7. अपर शासकीय अधिवक्ता ने प्रतिपक्षी संख्या-2 के अधिवक्ता द्वारा उठाए गए तर्कों का भी समर्थन किया।

8. पक्षों के अधिवक्ता द्वारा दी गई प्रतिद्वंद्वी प्रस्तुतियों को सुनने और कार्यवाही के रूप में पक्षों के बीच कार्यवाही के रूप में दो राउंड में होने के बाद और उसके बाद वर्ष 2022 में हुई घटना के संबंध में वर्ष 2025 में प्रतिपक्षी संख्या-2 के इशारे पर स्थापित की गई प्राथमिकी, अभिलेखों से यह स्पष्ट है कि वर्ष 2025 में पहली बार मामला अपराध संख्या-38 वर्ष 2025 दर्ज करके संबंधित पुलिस अधिकारियों के संज्ञान में जो घटना लाई गई है, जबकि घटना वर्ष 2022 में हुई थी जब पक्षों के बीच कब्जे के संबंध में मामला विचाराधीन था और वही मामला अभी भी इस न्यायालय के समक्ष अंतिम रूप से निर्णय लेने के लिए लंबित है, जिसमें दिनांक 19 के आदेश के माध्यम से "यथास्थिति" के रूप में आवेदक के पक्ष में अंतरिम संरक्षण पहले ही बढ़ाया जा चुका है। 4.2023 और इस तरह कब्जे के संबंध में मुख्य मुद्दा अभी भी रिट बी संख्या-491 वर्ष 2020 (वीरेंद्र सिंह और 47 अन्य बनाम चकबंदी के उप निदेशक और 86 अन्य) के अंतिम निर्णय का विषय है, जो इस न्यायालय के समक्ष लंबित है, जिसमें प्रतिपक्षी संख्या-2 प्रतिपक्षियों में से एक है। एक बार भूमि के उस हिस्से के संबंध में पक्षों के बीच विवाद का एकमात्र मामला जो संबंधित उप-विभागीय मजिस्ट्रेट द्वारा धारा 145 द०प्र०स० के तहत आगे बढ़ाया गया है और आवेदकों के निहितार्थ का उल्लेख उस समय किया गया था जब आवेदकों से कब्जा ले लिया गया था, लेकिन संबंधित विवेचनाधिकारी द्वारा जांच करते समय इस तथ्य को कभी भी संबंधित अदालत के संज्ञान में नहीं लाया गया था, जिसकी परिणति दिनांक 19.4.2025 के आदेश में हुई, जिसके माध्यम से अपराध का संज्ञान लिया गया है और आवेदकों को दिनांक 7.4.2025 के आरोप पत्र के संबंध में तलब किया गया है।

9. उपरोक्त तथ्यों और परिस्थितियों को ध्यान में रखते हुए, भ०द०वि० की धारा 379 को को आकर्षित करने वाले विशिष्ट आरोपों के साथ आवेदकों का निहितार्थ नहीं बनाया गया है, क्योंकि आवेदक विवाद में उस संपत्ति पर अपने कब्जे का दावा कर रहे हैं जहां से



गन्ने की फसल काटी गई है और कथित तौर पर चोरी हो गई है और यही मामला रिट बी संख्या-491 वर्ष 2020 (वीरेंद्र सिंह और 47 अन्य बनाम चकबंदी के उप निदेशक और 86 अन्य) में अंतिम रूप से निर्णय के लिए लंबित है और इस तरह केस संख्या-7665 वर्ष 2025 की पूरी कार्यवाही दीवानी न्यायाधीश (जूनियर डिवीजन) फास्ट ट्रैक कोर्ट/न्यायिक मजिस्ट्रेट, गाजियाबाद की अदालत के समक्ष लंबित है, जो केस अपराध संख्या-38 वर्ष 2025 से उत्पन्न हुई है, जिसमें आरोप पत्र दिनांक 7.04.2025 और समन आदेश दिनांक 19.04.2025 शामिल हैं, इसके द्वारा केवल आवेदकों के संबंध में रद्द/अपास्त किया जाता है।

10. धारा 528 बी.एन.एस.एस. के तहत प्रस्तुत आवेदन की तदनुसार अनुमति दी जाती है।

मार्च 31, 2026

शास्वत

(न्यायमूर्ति सौरभ श्रीवास्तव)